मैसर्स हर्षा ओर्स एण्ड मिनरल्स, सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 27.11.2024, (बुधवार) प्रातः 11:30 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र घुघरा, ग्राम घुघरा, तहसील–देवल जिला–डूंगरपुर

पर्यावरणीय जन–सुनवाई के कार्यवृत (Minutes)

मैसर्स हर्षा ओर्स एण्ड मिनरल्स, सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, एम.एल.न. 06/1983 दिनांक 27.11.2024, प्रातः 11:30 बजे आयोजित जन–सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

स्थानः– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर

पर्यावरणीय जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई–

1. **श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज)**
2. **श्री रवि चंदेल, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा**
3. **श्री कन्हैया लाल पाटीदार, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा**

जन सुनवाई श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा की उपस्थिति में मैसर्स हर्षा ओर्स एण्ड मिनरल्स, सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट परियोजना, एम.एल.न. 06/1983 की जन सुनवाई दिनांक 27.11.2024 प्रातः 11:30 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) में आयोजित हुई।

जन सुनवाई प्रारम्भ होने पर श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर की अध्यक्षता एवं श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जन सुनवाई के संबंध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा की

यह जन सुनवाई भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसुचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानो के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 15 दिन पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबार प्रातःकाल एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 29.10.2024 को प्रकाशित करवा दी गई थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 25.11.2024 को आमजन में जन सुनवाई की सूचना तारीख, स्थान के बारे में मुनादी करवा दी गयी थी।

यह जनसुनवाई मैसर्स हर्षा ओर्स एण्ड मिनरल्स द्वारा प्रस्तावित सोपस्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 06/1983, लीज क्षेत्र 24.80 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 1104684 TPA (ROM) निकट ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर में स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 4.50 करोड है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/ शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमे आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/ शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमे दे सकते है।

इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/ शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को संदर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 24.06.2024 को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC)

द्वारा जारी की जा चुकी है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तो की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जनसुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए अधिकारी, उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (संलग्नक "1" में संलग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार (कोन्गनीजेन्स रिसर्च इण्डिया प्रा. लि., नोयडा) द्वारा उक्त इकाई के संबंध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई ।

कार्यकारी सारांश/ई.आइ.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री रवि चंदेल क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार है :—

श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर — द्वारा उपस्थित लीजधारक से लीज के बारे में पुछा की प्रस्तावित खनन परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति में विस्तार के लिए जनसुनवाई की जा रही है या नई माईन लीज है ।

श्री रोहित मेहता, खनन पट्टेदार — यह माइन लीज नई है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है उक्त क्रम में यह जनसुनवाई आयोजित कि गई है।

श्री जितेन्द्र, ग्रामवासी घुघरा — हमें कोई भी आपत्ति नही है। यह खान चलेगी तो नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर — आसपास के स्कूलो के लिए क्या किया जाएगा।

श्री रोहित मेहता, खनन पट्टेदार – परियोजना की पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई है जिसमे तय निर्धारित बजट के अनुसार सरकारी स्कूल में फर्नीचर (टेबल कुर्सियाँ) और कम्प्यूटर एंव स्कूल भवन की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री मिलिंद, ग्रामवासी थाणा – खान चलने के साथ साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़–पौधें लगने चाहिए । सभी प्रकार के वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाए ।

उक्त जनसुनवाई के संबंध में पूर्व आमसूचना स्थानीय अखबारो में प्रकाशित कि गई थी उक्त के क्रम में श्री गब्बर सिंह चौहान द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद क्रमांक 102402620960862 दिनांक 11.10.2024 एंव क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा की ई–मेल पर दिनांक 07.10.2024 को मैसर्स हर्षा ओर्स एंड मिनरल्स, सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट परियोजना, एम.एल.न. 06/1983 लीज क्षेत्र 24.80 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 1104684 TPA (ROM) निकट ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर में स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति "**लोक सुनवाई में परिवाद में संलग्न आपत्तियों को संलग्न कर पर्यावरणीय स्वीकृति पर चिंतन**" करवाने के संबंध लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। उक्त अभ्यावेदनो की प्रति संलग्नक – 2 पर संलग्न है।

अंत में **श्री दिनेश चन्द धाकड़, अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर** द्वारा घोषणा कि गई कि जन सुनवाई आप सभी की उपस्थिति में संपन्न की जाती है। किसी को भी उक्त परियोजना के लिए कोई आपत्ति नही है। अतः जनसुनवाई समाप्त कि जाती है।

धन्यवाद।

(रवि चंदेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

(दिनेश चन्द्र धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

संलग्नक : 1

मैसर्स हर्षा ओर्स एण्ड मिनरल्स, सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, (एम.एल.नं. 06/1983, क्षैत्रफल–24.80 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1104684 टन प्रतिवर्ष (ROM) निकट ग्राम घुघरा, तहसील–देवल जिला–डूंगरपुर की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 27.11.2024 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र घुघरा, ग्राम घुघरा, तहसील–देवल जिला–डूंगरपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक गण :–

क.सं.	अधिकारी/व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	DINESH DHAKER	ADM Dungarpur	[signature]
2.	Ravi Kumar Chandel	RO, Pollution control Board	[signature]
3.	Kanhaiya lal Patidar	JEE, RPCB, Banswara	[signature]
4.	Ashok patidar	VDC collectrate	[signature]
5	गौरीशंकर जोशी	[illegible]	[signature]
6.	[illegible] गुमानपुरा	गुमानपुरा	
7	[illegible]	गुमानपुरा	[signature]
8	जितेन्द्र	घुघरा	
9	नानजी		
10	[illegible]	घुघरा	[signature]
11	Dev Chand	Udaipur CIRRC	[signature]
12	Mukesh Menaria	Udaipur	[signature]
13	Rohit Meena	Ghugra	[signature]

संलग्नक – 2

Gmail

RO RPCB BANSWARA <rorpcbbanswara2021@gmail.com>

दिनांक 17-10-24 की लोक सुनवाई मे आपत्तिया पेश करने(संलग्न)

1 message

Karn veer singh Chauhan <icleancorruption@gmail.com> Mon, Oct 7, 2024 at 1:41 PM
To: "rorpcbbanswara2021@gmail.com" <rorpcbbanswara2021@gmail.com>, m_env@rediffmail.com, env_raj@yahoo.co.in, ENV.DEPT@rajasthan.gov.in

Created and shared using Adobe Scan.

दिनांक 17-10-24 की लोक सुनवाई मे आपत्तिया पेश करने.pdf
1141K

सेवामें,

श्रीगान क्षेत्रीय अधिकारी महो0,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण
मंडल क्षैत्रीय कार्यालय,
बांसवाडा।

विषयः–दिनांक 17/10/2024 को पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई पर आपत्तियॉ पेश करने बाबत।

सदर्भः–आम सूचना हेतु आपका पत्र RPCB/RO Bansswara/PH-31/627-631 dated-02/09/2024

उपरोक्त विषय मे लेख है कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आम सूचना दिनांक 02/09/2024 हेत प्रसारित की गई हैं। जिनमे आपत्ति व सुझाव मांगे गए है जो निम्न हैं:–

1. प्रथमतः यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र का जो दोहन होगा, इसके दुरगामी नकारात्मक परिणाम भविष्य मे इस क्षैत्र को भुगतने हैं, जिससे इस क्षैत्र को लाभ कम व हानि अधिक हैं जिससे इस स्वीकृति हेतु पुनः पुनर्विचार कर समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। जिस पर इसे मात्र रायल्टी प्राप्त करने व आर्थिक लाभ के बारे मे ही ना सोचकर समग्र पहलुओ पर विचार करना अतिआवश्यक हो गया है, जिस पर पूर्णतया आश्वस्त व अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रत्येक बिन्दु का तथ्यात्मक स्पष्टिकरण लेने के पश्चात उच्च अधिकारियो की जवाबदेही तय कर समाधान होने पर ही निर्णय होने पर ही स्वीकृति दी जावे।

2. यह कि प्रायः देखा गया है कि स्वीकृति लेते वक्त अधिकतम आमजन को विश्वास मे लेने कई वादे किए जाते रहे है, किन्तु धरातल पर अपेक्षित कार्य नही होता पश्चात सार्वजनिक हित होने से किसी अधिकारियो द्वारा अपेक्षित ध्यान भी नही दिया जाता जिससे क्षैत्र वांछित लाभ से अछुता ही रहता हैं, इस हेतु शपथ पत्र पर उक्त क्षैत्र को दिए जाने वाले लाभ व समयसीमा का उल्लेख कर नोटरी कर सार्वजनिक करने व क्षैत्र मे भविष्य मे दिवार पर चस्पा करने का आशय पत्र लेने पर ही स्वीकृति दी जावे।

3. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल प्रयोग के लेखा सहित वार्षिक जल रेखा परिक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी ? जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

4. यह कि रॉ मटेरियल के भारी भरकम वाहनो से आवागमन पर सडक के टुटने व क्षैत्र मे सडको पर धुल के गुब्बार व वाहनो से निकलने वाले धुए से बढने वाले वायु प्रदुषण से निपटने अबतक क्या उपाय किए गए हैं व प्रस्तावित क्षमता जिससे प्रदुषण भी बढना स्वभाविक हैं जिस हेतु किए उपाय जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

5. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट आमजन को स्वास्थ, आर्थिक, मानसिक हानि अधिक हो सकती है दी जाने वाली स्वीकृति क्षैत्र व सरकार व आमजन के हित मे हैं, जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात व आंकडे सार्वजनिक जारी कर ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

6. यह कि इस स्वीकृति को जारी करने से पूर्व क्षैत्र पर व आमजन को स्वास्थ, आर्थिक, मानसिक व सार्वजनिक संपत्तियो को होने वाले नुकसान की विषय विषेषज्ञ से सर्वे रिपोर्ट लेकर होने वाले नकारात्मक प्रभाव व सकारात्मक प्रभाव की सर्वे रिपोर्ट की सार्वजनिक समीक्षा करवाकर ही आमजन हेतु सार्वजनिक कर व्यापक प्रचार प्रसार कर इसके परिणामो की जानकारी लेकर पुनःआमजन से आपत्तियॉ मॉग करने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिए जाए व इस हेतु जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

7. यह कि वनस्पति, पारिस्थितिकी, जीव जन्तु, सार्वजनिक संपत्ति, क्षैत्र के आमजन के स्वास्थ, तथा प्रदुषण संबंधि होगे इस स्वीकृति ना देकर वर्ष दर वर्ष इन हानिकारक प्रभावो का आमजन से फीडबेक लेकर वृद्धि कर जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

8. यह कि लीज क्षैत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाये गए है? भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पष्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

माननीय से निवेदन/आशा है कि स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के संबंधित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टिकरण व परियोजना प्रस्तावक का इस बाबत बिन्दुवार शपथपत्र लेकर ही स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जावेगा। जिसकी प्रार्थी प्रशासन से अपेक्षा रखता है कि इस संबंध मे सभी पहलुओ पर विचार कर स्पष्टिकरण व शपथ पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदान की जावेगी। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि इस पत्र पर बिन्दुवार स्पष्टिकरण नही देने पर व इस पत्र को औपचारिक मान कर कोई जवाबदेही तय ना कर एक तरफा निर्णय लेने पर प्रार्थी न्यायालय मे जाने व हरित प्राधिकरण मे शिकायत दर्ज कराने स्वतंत्र रहेगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही आप सक्षम अधिकारी की तथ्यो को परे रख क्षैत्र व आमजन को क्षति पहुँचाने के आषय से विधि व आमजन की आपत्तियों व निर्देषो की अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं की रहेगी।

दिनांकः–04/10/2024

विनित

गब्बर सिंह चौहान
मु.पो. पीठ तह. सिमलवाडा
जिला डूँगरपुर(राज0)314406
मो. 9783246463

राजस्थान संपर्क

परिवाद क्रमांक - 102402620960862

परिवादी का नाम : गब्बर सिग चौहान

परिवाद एरिया : पीठ , पीठ , पीठ , सीमलवाडा , डूंगरपुर

विषय : सहमति के लिए आवेदन के निपटान में देरी ()

विभाग : राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

स्थिति : लंबित

क्या परिवाद मांग है : नहीं

माध्यम एवं स्रोत : Web Portal (CMO RPG Cell)

स्थाई पता : पीठ , पीठ , पीठ , सीमलवाडा , डूंगरपुर

शिकायत का प्रकार: शिकायत

मोबाइल नंबर : 9783246463

विवरण : लोक सुनवाई मे उक्त आपत्तियो को संलग्न कर पर्यावरण स्वीकृति पर चितंन करावे ।

प्रक्रिया

क्रम	दिनांक एवं समय	कार्यवाही कर्ता	कार्यवाही का प्रकार	विवरण	स्तर
1	14-Oct-2024 10:40 AM	स्वत:	आवंटित	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है (RAVI KUMAR CHANDEL , क्षेत्रीय अधिकारी(Admin I) , Pollution Control Board Regional Office, Banswara , Rajasthan State Pollution Control Board)	-
2	14-Oct-2024 10:40 AM	bijojoy.ifs.forest@RAJASTHAN.GOV.IN , निदेशक(प्रशासन) , पर्यावरण विभाग , Environment	विभाग परिवर्तन	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मंडल से सम्बंदित है (वर्तमान विषय :- भ्रष्टाचार / अनियमितता से नया विषय :- सहमति के लिए आवेदन के निपटान में देरी एवं वर्तमान पता :- जिला- डूंगरपुर , पंचायत- सीमलवाडा, ग्राम पंचायत- पीठ, गाँव- पीठ से नया पता :- जिला- डूंगरपुर , पंचायत- सीमलवाडा, ग्राम पंचायत- पीठ, गाँव- पीठ में परिवर्तन किया गया) (RAVI KUMAR CHANDEL , क्षेत्रीय अधिकारी , Pollution Control Board Regional Office, Banswara , Rajasthan State Pollution Control Board)	-

क्रम	दिनांक एवं समय	कार्यवाही कर्ता	कार्यवाही का प्रकार	विवरण	स्तर
3	14-Oct-2024 10:27 AM	Raakesh Kanodia , उप - निदेशक(D.Dir Sec.) , पर्यावरण विभाग , Environment	हस्तानांतरण	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मंडल से सम्बंदित है(bijojoy.ifs.forest@RAJASTHAN.GOV.IN , निदेशक(प्रशासन) , पर्यावरण विभाग , Environment)	-
4	11-Oct-2024 05:45 AM	स्वत:	आवंटित	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है(Raakesh Kanodia , उप - निदेशक(D.Dir Sec.) , पर्यावरण विभाग , Environment)	-
5	11-Oct-2024 05:45 AM	गब्बर सिग चौहान	परिवाद दर्ज	लोक सुनवाई मे उक्त आपत्तियो को संलग्न कर पर्यावरण स्वीकृति पर चितंन करावे ।	पंजीकृत

परिवादी के सलंग्न

क्रम	सलंग्न का नाम	व्यक्ति	प्रकार	समय
1	19A.zip	गब्बर सिग चौहान S/D/O	दस्तावेज़ संलग्न	11-Oct-2024 05:45 AM

Reply all | Delete Junk | ...

दिनांक 17- 10 - 24 की पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई मे आपत्तिया पेश करने

Karn veer singh Chauhan <icleancorruption@gmail.com> Reply all |

Yesterday, 12:44

rorpcbbanswara2021@gmail.com; sdmdungarpur@gmail.com; env_raj@yahoo.co.i

Inbox

आपत्तिया पेश करने.pdf
1 MB

Show all 1 attachments (1 MB) Download

माननीय ,

लोक सुनवाई मे उक्त आपत्तियो को संलग्न कर पर्यावरण स्वीकृति पर चितंन करावे ।

निवेदक -
गब्बर सिंह चौहान
मु.पो पीठ तह - सीमलवाडा
जिला - डूंगरपुर
मो न. -9783246463

created and shared using Adobe Scan.

सेवामें,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महो0,
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण
मंडल क्षैत्रीय कार्यालय,
बांसवाडा।

विषयः–दिनांक 17/10/2024 को पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई पर आपत्तियॉ पेश करने बाबत।

सदर्भः–आम सूचना हेतु आपका पत्र RPCB/RO Bansswara/PH-31/627-631 dated-02/09/2024

उपरोक्त विषय मे लेख है कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आम सूचना दिनांक 02/09/2024 हेत प्रसारित की गई हैं। जिनमे आपत्ति व सुझाव मांगे गए है जो निम्न हैं:–

1. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पन्न जल एवं दुषित जल(यदि कोई हो) के उपचार की पर्याप्त व उचित व्यवस्था हैं? जवाबदेह सक्षम अधिकारी भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर ही स्वयं आष्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पष्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

2. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट युनिट से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दुषित जल या सामान को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों मे किसी भी परिस्थिति मे निस्सारित नही किया जा रहा हैं/जावेगा, अपितु इसे प्रकिया में अथवा वृक्षरोपण हेतु पुर्नउपयोग किया जा रहा हैं/जावेगा । धरेलु दुषित जल के उपचार के लिए सेप्टिंक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था करने एवं दुषित जल एवं वर्षा ऋतु का जल आपस मे ना मिले इस हेतु जवाबदेह सक्षम अधिकारी भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर स्वयं आश्वस्त होकर ही इस आशय का शपथ पत्र लेने के पष्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

3. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट युनिट के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न डस्ट व दुषित वायु उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षैत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दु की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन/संधारण सुनिश्चित है, सक्षम अधिकारी स्वयं आष्वस्त होकर भौतिक सत्यापन रिर्पोट जारी कर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

4. यह कि वाहनों एवं अन्य प्रकिया से उत्पन्न वायु प्रदुषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदुषण, निवारण, तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानको के अनुरूप रखा जा रहा हैं, एवं क्षेत्र मे परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानको से अधिक नही हो, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

5. यह कि लीज क्षैत्र के चारो ओर पट्टी छोड उसमे कोई वेस्ट डम्प का भण्डारण नही कर वृक्षारोपण किया जाए, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

6. यह कि युनिट द्वारा केन्द्रिय भूमि जल प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 24 सितम्बर 2020 की पालना कर सक्षम प्राधिकरण से एन.ओ.सी ली गई हैं, सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

7. यह कि ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य वेस्ट को पृथक से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित करने तथा इस प्रकार के भण्डारण स्थलो को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जावें तथा भण्डारित पदार्थ आसपास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊचॉई सतह से 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक नही रखने व ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण करवाने सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

8. यह कि जहां तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य वेस्ट को गड्ढों में पुर्नभरण(बैक फिलिंग) हेतु उपयोग करेंगे ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

9. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रक्रिया से उत्पन्न लिक्विड वेस्ट लीज क्षैत्र के आसपास के सतही जल स्त्रोतों मे प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पिट तथा डम्प क्षैत्र मे रिटेनिंग वॉल/गारलैण्ड ड्रैन की व्यवस्था उपस्थित होनें पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

10. यह कि युनिट द्वारा परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से ही करने ताकि रॉ मटेरियल,खनिज व अन्य पदार्थ वाहन से बाहर ना गिरे। रॉ मटेरियल, खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो का भार क्षमता से अधिक नही भरने होनें तथा इसका युनिट स्थल पर ही भार तोलने सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

11. यह कि प्राथमिकता के आधार पर युनिट प्रबंधन द्वारा योजना के अनुसार स्थानिय प्रजातियो के पौधा का रोपण युनिट के चारो ओर करने। रोपण को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था(यथा काटेदार तार के बाड अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) करेंगे। स्थल उपलब्ध नही होने की दशा मे संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा स्थान चिन्हित कर वृक्षारोपण करने जो कि प्रथम वर्ष मे ही पूर्ण करने पर ही सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

12. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूॅगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षैत्र का जो दोहन होगा, इसके दुरगामी नकारात्मक परिणाम भविष्य मे इस क्षैत्र को भुगतने हैं, जिससे इस क्षैत्र को लाभ कम व हानि अधिक हैं जिससे इस स्वीकृति हेतु पुनः पुनर्विचार कर समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। जिस पर इसे मात्र रायल्टी

प्राप्त करने व आर्थिक लाभ के बारे मे ही ना सोचकर समग्र पहलुओ पर विचार करना अतिआवश्यक हो गया है, जिस पर पूर्णतया आश्वस्त व अधोहस्ताक्षरकर्ता के प्रत्येक बिन्दु का तथ्यात्मक स्पष्टिकरण लेने के पश्चात उच्च अधिकारियो की जवाबदेही तय कर समाधान होने पर ही निर्णय होने पर ही स्वीकृति दी जावे।

13. यह कि प्रायः देखा गया है कि स्वीकृति लेते वक्त अधिकतम आमजन को विश्वास मे लेने कई वादे किए जाते रहे है, किन्तु धरातल पर अपेक्षित कार्य नही होता पश्चात सार्वजनिक हित होने से किसी अधिकारियो द्वारा अपेक्षित ध्यान भी नही दिया जाता जिससे क्षैत्र वांछित लाभ से अछुता ही रहता हैं, इस हेतु शपथ पत्र पर उक्त क्षैत्र को दिए जाने वाले लाभ व समयसीमा का उल्लेख कर नोटरी कर सार्वजनिक करने व क्षैत्र मे भविष्य मे दिवार पर चस्पा करने का आशय पत्र लेने पर ही स्वीकृति दी जावे।

14. यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल प्रयोग के लेखा सहित वार्षिक जल रेखा परिक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी ? जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

15. यह कि रॉ मटेरियल के भारी भरकम वाहनो से आवागमन पर सडक के टुटने व क्षैत्र मे सडको पर धुल के गुब्बार व वाहनो से निकलने वाले धुए से बढने वाले वायु प्रदुषण से निपटने अबतक क्या उपाय किए गए हैं व प्रस्तावित क्षमता जिससे प्रदुषण भी बढना स्वभाविक हैं जिस हेतु किए उपाय जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

16. यह कि मैसर्स हर्षा ओरस एंड मिनरल्स ग्राम–धुधरा तह–देवल जिला–डूँगरपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट आमजन को स्वास्थ, आर्थिक, मानसिक हानि अधिक हो सकती है दी जाने वाली स्वीकृति क्षैत्र व सरकार व आमजन के हित मे हैं, जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात व आंकडे सार्वजनिक जारी कर ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

17. यह कि इस स्वीकृति को जारी करने से पूर्व क्षैत्र पर व आमजन को स्वास्थ, आर्थिक, मानसिक व सार्वजनिक संपत्तियो को होने वाले नुकसान की विषय विषेषज्ञ से सर्वे रिपोर्ट लेकर होने वाले नकारात्मक प्रभाव व सकारात्मक प्रभाव की सर्वे रिपोर्ट की सार्वजनिक समीक्षा करवाकर ही आमजन हेतु सार्वजनिक कर व्यापक प्रचार प्रसार कर इसके परिणामो की जानकारी लेकर पुनःआमजन से आपत्तियॉ मॉग करने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिए जाए व इस हेतु जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

18. यह कि वनस्पति, पारिस्थितिकी, जीव जन्तु, सार्वजनिक संपत्ति, क्षैत्र के आमजन के स्वास्थ, तथा प्रदुषण संबंधि होंगे इस स्वीकृति ना देकर वर्ष दर वर्ष इन हानिकारक प्रभावो का आमजन से फीडबेक लेकर वृद्धि कर जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वस्त होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

19. यह कि लीज क्षैत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाये गए है? भौतिक निरिक्षण रिपोर्ट लेकर ही जवाबदेह सक्षम अधिकारी स्वयं आश्वरत होकर इस आशय का शपथ पत्र लेने के पश्चात ही स्वीकृति बाबत् निर्णय लिया जावे।

माननीय से निवेदन/आशा है कि स्वीकृति दिए जाने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के संबंधित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टिकरण व परियोजना प्रस्तावक का इस बाबत बिन्दुवार शपथपत्र लेकर ही स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जावेगा। जिसकी प्रार्थी प्रशासन से अपेक्षा रखता है कि इस संबंध मे सभी पहलुओ पर विचार कर स्पष्टिकरण व शपथ पत्र की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदान की जावेगी। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि इस पत्र पर बिन्दुवार स्पष्टिकरण नही देने पर व इस पत्र को औपचारिक मान कर कोई जवाबदेही तय ना कर एक तरफा निर्णय लेने पर प्रार्थी न्यायालय मे जाने व हरित प्राधिकरण मे शिकायत दर्ज कराने स्वतंत्र रहेगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही आप सक्षम अधिकारी की तथ्यो को परे रख क्षेत्र व आमजन को क्षति पहुँचाने के आषय से विधि व आमजन की आपत्तियों व निर्देषो की अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं की रहेगी।

दिनांकः—10/10/2024

विनित

गब्बर

गब्बर सिंह चौहान
मु.पो. पीठ तह. सिमलवाडा
जिला डूँगरपुर(राज0)314406
मो.न.- 9783246463

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road, Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com www.environment.rajasthan.gov.in

No.: RPCB / RO Banswara/PH-31/ 627 - 631 Date: 02.09.2024

M/s Harsha Ores & Minerals,
R/o: Thana, Tehsil: Dewal
District: Dungarpur (Raj.)
E-mail: harsha2024321@outlook.com
Mobile No.- 9314971100

Sub:- Public Hearing for environment clearance of proposed Soapstone Mining Project with M.L. No. 06/1983, Area: 24.80 Hectare, Production capacity: 1104684 TPA, located near Village - Ghughara, Tehsil- Dewal, District - Dungarpur, Rajasthan.

Ref:- कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर का पत्र क्रमांक: एफ 40/18(57)सामा0/2024 /1109 दिनांक 29.08.2024.

Sir,

In reference to above, please find enclosed a public note to be published in one major National Daily newspaper and one regional vernacular Daily/Official state language newspaper before 30 days of public hearing date. The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर **at 11.30 AM on 17.10.2024.**

You are requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi & English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours Faithfully,

(Ravi Chandel)
Regional Officer

Encl.- As Above

Copy to :

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
2. District Collector, Dungarpur
3. Additional District Collector, Dungarpur.
4. Analyst Cum Programmer, RSPCB, Jaipur to display public notice on website of State Board.

Regional Officer

Regional office
Rajasthan State Pollution Control Board
Choudhary Campus, Near Durga Petrol Pump, Dahod Road, Thikariya, Banswara
Email:-rorpcbbanswara2021@gmail.com www.environment.rajasthan.gov.in

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषयः– मैसर्स हर्षा ओरस् एंड मिनरल्स एम.एल.न. 06/1983 (क्षेत्रफल 24.80 हैक्टेयर) "सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट", ग्राम– घुघरा, तहसील– देवल, जिला– डूंगरपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स हर्षा ओर एंड मिनरल्स एम.एल.न. 06/1983 (क्षेत्रफल 24.80 हैक्टेयर) "सोपस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट", ग्राम– घुघरा, तहसील– देवल, जिला– डूंगरपुर उत्पादन परियोजना क्षमता 1104684 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।
2. और चूकिं मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधि सूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैः–
   1) कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर
   2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय – 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
   3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुँगरी, जयपुर।
   4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र)
   5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर
   6) अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर
   7) निदेशक, पर्यावरणविभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ–प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
   8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चौधरी कैम्पस, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड, ठिकरिया, बांसवाड़ा (राज.)

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 17.10.2024 (गुरूवार) को प्रातः 11.30 बजे, ग्राम घुघरा, तहसील देवल, जिला डूंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाड़ा मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी